संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक–1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स – 2221641, ईमेल – cgayush@gmail.com

क्रमांक/महा./प्रवेश/पी.जी./2025–26/ नवा रायपुर,दिनांक

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी.–आयुर्वेद)/ आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस.–आयुर्वेद) में सत्र 2025–26 में राज्य कोटे एवं निजी महाविद्यालय के ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना

शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी.–आयुर्वेद)/आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस.–आयुर्वेद) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

एम.डी.–आयुर्वेद/एम.एस.–आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET 2025 में सम्मिलित, पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं।

ऑनलाईन पंजीयन करने के पूर्व **"छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम 2024" एवं सूचना पत्र (Information Bulletin)** का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो **वेबसाईट** https://cgayush.admissions.nic.in में उपलब्ध है।

पंजीयन कार्यक्रम		
क.	**विषय**	**विवरण**
1	**एम.डी.–आयुर्वेद/एम.एस.–आयुर्वेद पाठ्यक्रम** के राज्य कोटे एवं निजी महाविद्यालयों के ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि	दिनांक 10 अक्टूबर 2025
2	**एम.डी.–आयुर्वेद/एम.एस.–आयुर्वेद पाठ्यक्रम** के राज्य कोटे एवं निजी महाविद्यालयों के ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए अंतिम तिथि	दिनांक 16 अक्टूबर 2025, समय रात्रि 11:59 बजे तक
3	**एम.डी.–आयुर्वेद/एम.एस.–आयुर्वेद पाठ्यक्रम** में प्रवेश हेतु संस्था एवं विषय का चयन	दिनांक 10 अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025, समय रात्रि 11:59 बजे तक
4	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (राज्य कोटे की सीटों के लिए) (Non Refundable)	अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग निवासी अभ्यर्थियों हेतु रू. 2000/– (रू. दो हजार मात्र) अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी हेतु रू. 1500/– (रू. एक हजार पाँच सौ मात्र)
5	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (निजी महाविद्यालयों के ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए) (Non Refundable)	समस्त अभ्यर्थियों हेतु रू. 2000/– (रू. दो हजार मात्र)
6	काउंसिलिंग प्रकिया में सम्मिलित होने हेतु सुरक्षा निधि (Refundable)	समस्त अभ्यर्थियों हेतु रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विषयवार सीटों का प्रावधिक विवरण निम्नानुसार है :–

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

स.क्र.	विषय	राज्य कोटे की कुल सीट संख्या	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	ई. डब्ल्यू.एस.	नियमित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक	**6**	2	1	1	1	0	1 (अनारक्षित)
2	संहिता एवं सिद्धांत	**3**	0	1	0	2	0	0
3	द्रव्यगुण विज्ञान	**8**	3	0	1	4	0	0
4	कौमारभृत्य	**6**	2	1	1	0	1	1 (अनु. जनजाति)
5	काय–चिकित्सा	**5**	0	0	1	2	1	1 (अनु. जाति)
6	क्रिया शारीर	**7**	1	1	1	3	1	0
7	रचना शारीर	**3**	1	0	0	1	1	0
8	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	**3**	1	1	0	0	1	0
9	रोगनिदान–विकृतिविज्ञान	**6**	4	0	0	2	0	0
10	शल्य तंत्र	**3**	1	0	1	0	0	1 (अनारक्षित)
11	स्वस्थवृत्त और योग	**5**	0	0	0	4	0	1 (अनु. जनजाति)
योग		**55**	**15**	**5**	**6**	**19**	**5**	**5**

महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, राजनांदगांव

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	कुल सीटों की संख्या	ऑल इंडिया कोटा (Domicile Free)	अनारक्षित (Domicile Free)	अल्पसंख्यक समुदाय (जैन) (Domicile Free)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	कौमारभृत्य	4	0	2	2
2	स्त्री रोग – प्रसूति तंत्र	4	0	2	2
3	रोगनिदान–विकृतिविज्ञान	4	1	1	2
4	शल्य तंत्र	4	1	1	2
योग		**16**	**2**	**6**	**8**

महत्वपूर्ण टीप :–

1. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। संबंधित संस्था हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित सीट संख्या अंतिम तथा मान्य होगी।
2. आयुर्वेद महाविद्यालयों जिन्हें आयुष मंत्रालय भारत सरकार/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से अनुमति/मान्यता तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं, उन्हीं महाविद्यालयों में काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

3. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में EWS कोटे में प्रवेश का लाभ लेने हेतु निर्धारित बेबसाईट में अपलोड किये गये सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अवलोकन करें एवं तद्नुसार प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।
4. आरक्षित श्रेणी में प्रवेश का लाभ लेने हेतु राज्य शासन के नियमानुसार प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
5. महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, सुन्दरा, राजनांदगांव में अल्पसंख्यक (जैन धर्म) हेतु आरक्षित सीट में प्रवेश का लाभ लेने हेतु राज्य शासन के नियमानुसार अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit करने के पश्चात् भी यदि ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निःशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
7. महाविद्यालय आबंटन से पूर्व अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करते समय विशेष सावधानी रखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी दिये जाने पर रजिस्ट्रेशन/आबंटन निरस्त किया जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। इस संबंध में संचालक, आयुष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. अभ्यर्थी आबंटन पत्र में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों के साथ दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश हेतु उपस्थित होवें।
9. **दस्तावेज परीक्षण पश्चात् निर्धारित शैक्षणिक शुल्क जमा कर आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। शुल्क तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा।**
10. सीटों के विवरण हेतु निर्धारित वेबसाईट का अवलोकन कर सकते हैं।
11. यदि किसी महाविद्यालय को काउंसिलिंग प्रक्रिया के मध्य मान्यता/संबद्धता प्राप्त होती है, तो उन्हें आगामी चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
12. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार आवेदकों की इन्टर्नशिप 31 जुलाई 2025 तक अनिवार्यतः पूर्ण होनी चाहिए।
13. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा याचिका डब्ल्य.पी.सी. क्र. 4327/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के परिपालन में अल्पसंख्यक निजी महाविद्यालय महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, राजनांदगांव की सभी सीटें Domicile free की गई हैं।
14. सभी शासकीय एवं निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फसें।
15. प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश/सूचना की अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 09-10-2025
15:35:45

(शिखा राजपूत तिवारी) आई.ए.एस.
आयुक्त
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़